

EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

**PUBLISHED BY AUTHORITY** 

सं. 1523]नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 24, 2014/श्रावण 2, 1936No. 1523]NEW DELHI, THURSDAY, JULY 24, 2014/SHRAVANA 2, 1936

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2014

का.आ. 1891(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में एतद्द्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 32 के पश्चात तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और उससे संबंधित प्रविष्टियों को जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

"33	नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 251 और 848बी के उतने भाग जो दमन और दीव के संघ राज्य	दमन और दीव	1
	क्षेत्र में अवस्थित हैं ।	प्रशासन"।	1

[फा.सं. एनएच-14013/13/2014-पीएंडएम]

माया प्रकाश, निदेशक (पीएंडबी)

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार सं. का.आ. 1520 (अ), 13 जून, 2014 द्वारा संशोधित किया गया था।

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 24th July, 2014

**S.O. 1891(E).** In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 1096(E), dated the 4<sup>th</sup> August, 2005, namely:—

In the Schedule to said notification, after serial number 32 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries relating thereto shall be added, namely: —

## TABLE

"33	So much of new National Highways No. 251 and 848B as is situated within the Union	Daman and Diu
	territory of Daman and Diu.	administration".

[F. No. NH-14013/13/2014-P&M]

MAYA PRAKASH, Director (P&B)

**FOOT NOTE:** - The principal notification was published *vide* number S.O.1096 (E), dated the 4<sup>th</sup> August, 2005 and was last amended *vide* number S.O. 1520 (E), dated the 13<sup>th</sup> June, 2014.